शैक्षणिक मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण

मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण का कार्य प्रधानाचार्य के स्तर से प्रत्येक विषय में कक्षाओं का पर्यवेक्षण एक निश्चित प्रोफार्मा पर विद्यालय स्तर पर किया जायेगा। इसके अन्तर्गत प्रभावी एवं अर्थपूर्ण कक्षाओं के संचालन हेतु शिक्षक डायरी, छात्र/छात्राओं के गृह कार्य का अवलोकन किया जायेगा। गुणवत्ता पूर्ण कार्यो के लिए आवश्यकतानुसार प्रधानाचार्य के स्तर से निर्देश दिये जाऐंगे। साथ ही शिक्षण कार्य एवं अन्य कार्यो में सुधार हेतु प्रधानाचार्य स्तर से उचित सुझाव देना समीचीन होगा, जो शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं के लिए ग्राहय होगा। छात्र छात्राओं के गृह कार्य, परियोजना (प्रोजेक्ट) कार्य का अवलोकन एक निश्चित समय सारणी बनाकर प्राचार्य के स्तर से किया जाएगा।

विद्यालय में शैक्षणिक उन्नयन एवं स्वस्थ शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए प्रत्येक माह शिक्षकों के साथ बैठक कर योजनाएं तैयार करना तथा छात्र छात्राओं की बैठक करके उनके उपलब्धियों एवं गुणवत्ता में उन्नयन हेतु आवश्यकतानुसार सुझाव प्रधानाचार्य के स्तर से दिया जायेगा, तथा तैयार की गयी सभी योजनाओं को व्यवहरित करने के लिए आवश्यक रणनीति बनायी जाएगी।

परीक्षा परिणाम हेतु लक्ष्य निर्धारण

क. सेकेण्डरी स्कूल (कक्षा–10) परीक्षा–100 प्रतिशत

ख. सीनियर सेकेण्डरी स्कूल (कक्षा–12) परीक्षा–100 प्रतिशत

सयुंक्त प्रश्नपत्र तैयार करना

विद्यालय में होने वाली इकाई परीक्षाओं को छोड़कर टर्म टेस्ट प्रथम, टर्म टेस्ट द्वितीय, पूर्व परिषदीय परीक्षा प्रथम एवं पूर्व परिषदीय परीक्षा द्वितीय के प्रश्न पत्र विभागीय स्तर पर पूरे प्रदेश के लिए एक तरह का तैयार कराया जाए, तथा परीक्षा संचालन के लिए भी समय सारिणी सम्पूर्ण प्रदेश में एकरूपता को ध्यान में रखकर ही निश्चित की जाए।

सभी यूनिट टेस्ट एवं पूर्व वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर तैयार किया जाए, एवं एकरूपता को ध्यान में रखकर निर्धारित समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराया जाए। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन व परीक्षा परिणाम विद्यालय स्तर पर तैयार करके सम्पूर्ण प्रदेश में 31 मार्च को घोषित किया जायेगा।

शीतलहर के दौरान जिलाधिकारी द्वारा घोषित शीतावकाश में अन्य आवासीय सरकारी विद्यालयों की भांति जिलाधिकारी की अनुमति/सहमति प्राप्त कर राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षण कार्य जारी रहेगा।

अवकाश विवरण–

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, जिसे शासनादेश दिनांक 06.10.15 के अनुरूप नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर संचालित करने की व्यवस्था की गई है। आवासीय विद्यालय की प्रकृति के आधार पर अवकाशों का विवरण निम्नवत् सुनिश्चित किया जाए–

- ग्रीष्म कालीन अवकाश – 11 मई से 27 जून
- शीत कालीन अवकाश – 26 दिसम्बर से 10 जनवरी
- अन्य अवकाश जिला विद्यालय निरीक्षक की अवकाश सूची के अनुसार देय होंगे।
- राज्य सरकार के निर्देशानुसार महापुरूषों के जन्मदिन/जयन्ती विद्यालय में मनायी जायेंगी।

छात्र प्रतिज्ञा (हिन्दी)

"भारत हमारा देश है। हम सब भारतवासी भाई बहन है। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता–पिता, शिक्षकों एवं गुरूजनों का सदा आदर करेंगे तथा सब के साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति सदैंव निष्ठावान रहने की प्रतिज्ञा करते है। उनके कल्याण एवं समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है।"

–जय हिन्द

छात्र प्रतिज्ञा (अंग्रेजी में)

"India is my country . All Indians are my brothers & sister. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall pay respect to my parents, teachers, class -mates and all elders and treat every one with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well being and prosperity alone lies my happiness."

विद्यालय शैक्षिक कैलेण्डर

यह विद्यालय के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है यह विद्यालय के कार्यो को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। यह सत्र के प्रारम्भ में शैक्षणिक/सह–शैक्षणिक क्रियाओं एवं महत्वपूर्ण दिवसों/उत्सवों कों एक निश्चित समय एवं निश्चित दिशा में सम्पन्न कराने का महत्वपूर्ण अभिलेख है।

नव सत्र् का प्रारंभ 1 अप्रैल से होगा तथा 31 मार्च सत्र् का अंतिम कार्य दिवस होगा।

नोट–

- प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को अभिभावक दिवस होगा तथा उस दिन शिक्षक अभिभावक परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी ।
- जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा निर्गत अवकाश सूची में उल्लिखित व्यवस्थानुसार प्रधानाचार्य के विवेकाधीन 03 अवकाश देय होगें।
- अधिक सर्दी/गर्मी के कारण स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी के निर्देशानुसार अन्य सरकारी आवासीय विद्यालयों की भाँति राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षण कार्य किया जायेगा।
- महापुरूषों की जयन्ती का आयोजन विद्यालय स्तर पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार किया जायेगा।

शिक्षण कक्ष प्रबन्धन

- कक्षा में शिक्षण हेतु जाने से पूर्व सम्बन्धित विषय अध्यापक प्रभावी शिक्षण हेतु निम्नलिखित व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करेगें।
- कक्षाध्यापन के बाद गृह कार्य, परियोजना कार्य छात्र –छात्राओं को दिया जाए तथा इनकी जॉच एवं सुधार कार्य किया जाए।
- गृह कार्य प्रतिदिन सुनिश्चित करने हेतु इसका अभिलेख छात्र डायरी मे रखा जायेगा। छात्र डायरी में छात्रों द्वारा विभिन्न टेस्ट एवं परीक्षा में प्राप्त अंको का विवरण भी रखना होगा, जिसे छात्र अपने अभिभावक को अवलोकित कराकर, उनके हस्ताक्षर करायेंगे तथा विषय / कक्षा अध्यापक को सौंप देगें।

पाठ्यकम की पूर्णता (कवरेज आफ सेलेबस)

माह	6 से 9 कक्षाओ हेतु	10व 12 कक्षाओ हेतु
अप्रैल, मई	20 प्रतिशत	20 प्रतिशत
जुलाई, अगस्त	30 प्रतिशत	40 प्रतिशत
सितम्बर	यूनिक टेस्ट व अर्द्धवार्षिक(यूनिट–1)	यूनिट टेस्ट व अर्द्धवार्षिक (एस ए–1)
अक्टूबर, नवम्बर	25 प्रतिशत	40 प्रतिशत
दिसम्बर, जनवरी	25 प्रतिशत	दिसम्बर से प्रथम व जनवरी मे द्वितीय पूर्व परिषदीय परीक्षा व परीक्षा परिणाम विश्लेषण
फरवरी	पुनरीक्षण व तैयारी पूर्व वार्षिक परीक्षा (यूनिट–2)	नॉन बोर्ड कक्षाओ हेतु
मार्च	वार्षिक परीक्षा 1 दिन के अन्तराल पर, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन रिजल्ट शीट व अंक पत्र तैयार करना ।	वार्षिक परीक्षा 1 दिन के अन्तराल पर, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन रिजल्ट शीट व अंक पत्र तैयार करना ।

परीक्षा कार्यक्रम –

यूनिट टेस्ट	अधिभार	प्रस्तावित तिथि
प्रथम	10 प्रतिशत	18 से 20 जुलाई
द्वितीय	10 प्रतिशत	29 से 31 अगस्त
टर्म–1	30 प्रतिशत	20 से 30 सितम्बर
तृतीय	10 प्रतिशत	28 से 31 अक्टूबर
चतुर्थ	10 प्रति शत	05 से 10 दिसम्बर
टर्म–2	30 प्रतिशत	05 से 15 मार्च

इसके अतिरिक्त प्रत्येक शनिवार को हर विषय के शिक्षण कालांश में संक्षिप्त टेस्ट सम्बन्धित विषय शिक्षक द्वारा चक्रानुसार सम्पन्न कराया जायेगा ।

विषयानुसार कालांश आंवटन

कक्षा 6 से 7	8	9	10	11	12
अंग्रेजी 8	अंग्रेजी 8	अंग्रेजी 7	अंग्रेजी 8	हिन्दी / गणित / कम्प्यूटर 7	हिन्दी / गणित / कम्प्यूटर 7
हिन्दी 6	हिन्दी 6	हिन्दी 6	हिन्दी 6	अंग्रेजी 7	अंग्रेजी 7
गणित 6	गणित 6	गणित 7	गणित 6	भौतिक शास्त्र / भूगोल / एकाउटेंसी–8	भौतिक शास्त्र / भूगोल / एकाउटेंसी 8
विज्ञान 5	विज्ञान 5	विज्ञान 9	विज्ञान 5	रसायन शास्त्र / अर्थशास्त्र / नागरिक शास्त्र 8	रसायन शास्त्र / अर्थशास्त्र / नागरिक शास्त्र 8
सा0विज्ञान 5	सा0विज्ञान 5	सा0विज्ञान 6	सा0विज्ञान 5	जीवविज्ञान / इतिहास समाज शास्त्र / व्यावसायिक अध्ययन–8	जीवविज्ञान / इतिहास / समाज शास्त्र व्यावसायिक अध्ययन–8
पुस्तकालय–1	पुस्तकालय–1	पुस्तकालय–1	पुस्तकालय–1	शारीरिक शिक्षा 1	शारीरिक शिक्षा 1
कम्प्यूटर 2	कम्प्यूटर 2	कम्प्यूटर 2	कम्प्यूटर 2	सामान्य अध्ययन / कार्य अनुभव	सामान्य अध्ययन / कार्य अनुभव
कला 1	कला 1	कला 1	कला 1	कम्प्यूटर 2	कम्प्यूटर 2
संगीत 1	संगीत 1	संगीत 1	संगीत 1		
शारीरिक शिक्षा 1	शारीरिक शिक्षा 1	शारीरिक शिक्षा 1	शारीरिक शिक्षा 1		
संस्कृत 4	संस्कृत 4		संस्कृत 4		

- वादन विभाजन कार्यक्रम विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य के निर्देशन मे शैक्षणिक प्रभारी द्वारा तैयार किया जायेगा ।
- नोट–रिमीडियल कक्षाएँ– भौतिक विज्ञान / एकाउटेंसी / गणित / रसायन विज्ञान अर्थशास्त्र विषयों के लिए उपचारात्मक शिक्षण जीरो अन्तिम वादन के कालांश में प्रति विषय दो कालांश प्रति सप्ताह में होगीं ।

उपचारात्मक अध्ययन

- यूनिटटेस्ट / अर्द्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंको के अनुसार विषय में सामान्य स्तर से कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों के लिए जीरो पीरिएड / अष्टम वादन में व्यवस्था की जाएगी ।
- निरीक्षित अध्ययन की व्यवस्था छात्रावास में विद्यालय परिसर में रहने वाले अध्यापक द्वारा आयोजित की जाएगी

स्वाध्ययन

- इसका आयोजन छात्रावास मे प्रातःकाल नाश्ते से पहले 1 घंण्टे के लिए व सायंकाल खेलकूद के उपरान्त किया जायेगा ।
- परिसर के आवासीय पदधारकों द्वारा यथा प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्रावास सहायक एवं फार्मासिस्ट द्वारा समय पर निरीक्षण किया जाएगा ।

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 06 अक्टूबर, 2015

विषयः- प्रदेश में समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग के नियंत्राधीन संचालित/निर्माणाधीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को नवोदय विद्यालय के पैर्टन पर विकसित किये जाने तथा इन्हें सी.बी.एस.ई. बोर्ड से सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्र संख्या-594/स.क.1-2015/विकास (312)/मु.म.घो./नवो0 पैटर्न/अ0प0वि0/2015-16, दि.-03-08-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल प्रदेश में संचालित/निर्माणाधीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को नवोदय विद्यालय के पैर्टन पर विकसित किये जाने तथा इन्हें सी.बी.एस.ई. बोर्ड से सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं-

1- प्रदेश में वंचित वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु जिन 16 जनपदों में अभी तक राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय स्थापित नहीं हैं, उनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में आगामी 05 वर्षों में चरणबद्ध रूप से प्रत्येक जनपद 01 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय स्थापित किया जायेगा। इन विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा हेतु धनराशि की व्यवस्था अनुदान संख्या-83 (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान) से चरणबद्ध रूप से की जायेगी।

2- पूर्व से संचालित एवं नवनिर्मित स्थापित होने वाले राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर संचालित कराया जायेगा तथा इनकी सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजूकेशन (सी.बी.एस.ई.) नई दिल्ली से करायी जायेगी।

3- आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण कम से कम 05 एकड़ भूमि पर किया जायेगा। विद्यालय की स्थापना हेतु भूमि समाज कल्याण विभाग को सम्बन्धित जिलाधिकारी के स्तर से निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। नवीन आश्रम पद्धति विद्यालय केवल बालक या बालिकाओं के लिये खोले जायें इस सम्बन्ध में निर्णय मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति उपरान्त मा0 विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया जायेगा।

वर्तमान में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों को नवोदय विद्यालयों की भांति कक्षा 6 से 12 तक संचालित किया जायेगा। शैक्षिक सत्र 2016-17 में कक्षा-1 में कोई प्रवेश नही दिया जायेगा तथा प्रतिवर्ष क्रम से एक कक्षा कम करते हुए वर्ष 2020-21 तक कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई समाप्त कर दी जायेगी। वर्ष 2016-17 से संचालित होने वाले नये आश्रम पद्धति विद्यालय में तत्काल प्रभाव से कक्षा-6 से 12 तक की पढ़ाई प्रारंभ की जायेगी।

4- कक्षा 6 में छात्रों का नामांकन नवोदय विद्यालयों की भांति प्रवेश परीक्षा के माध्यम से मेरिट के आधार पर किया जायेगा। प्रवेश परीक्षा में परिषदीय विद्यालयों के कक्षा 5 में अध्ययनरत छात्र सम्मिलित होंगे। प्रवेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

परीक्षा बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से सम्पन्न कराई जायेगी। मेरिट के आधार पर प्रवेश हेतु चयनित छात्रों की सूची जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित की जायेगी। प्रवेश प्रक्रिया सामान्यतः एक साथ दिसंबर माह में सम्पन्न कराई जायेगी तथा इसका कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर निदेशक, समाज कल्याण द्वारा निर्धारित किया जायेगा। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में 85 प्रतिशत छात्र ग्रामीण क्षेत्र से तथा 15 प्रतिशत छात्र शहरी क्षेत्र से चयनित किए जायेंगे। संस्थाओं में 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, 25 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 15 प्रतिशत सामान्य वर्ग के बच्चों को पूर्व की भांति प्रवेश दिया जायेगा ।

कक्षा-6 से 12 तक प्रत्येक कक्षा में 35-35 छात्रों के दो सेक्शन संचालित होंगे। प्रत्येक विद्यालय की कुल छात्र संख्या-490 होगी।

5- आश्रम पद्धति विद्यालयों के विद्यालय परिसर में प्रधानाचार्य हेतु **टाइप-IV** का एक तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ हेतु ट्रांजिट हास्टल (02 रूम सेट) तथा गैर शैक्षणिक स्टाफ हेतु 01 रूम सेट का हास्टल निर्माण कराया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय तथा कम्प्यूटर कक्ष की व्यवस्था की जायेगी।

कक्षा-9 से 12 तक "स्मार्ट क्लासेज" संचालित करने हेतु भी आवश्यक व्यवस्था की जायेगी। विद्यालय में इंटरनेट तथा कम्प्यूटर की सुविधा भी उपलब्ध करायी जायेगी।

6- नवीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के नक्शे को नये सिरे से डिजाईन कराया जायेगा और प्राक्कलन को प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी0एफ0ए0डी0)/व्यय वित्त समिति (ई0एफ0सी0) द्वारा अनुमोदित कराया जायेगा। सभी विद्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एल0ई0डी0 बल्बों का प्रयोग तथा वैकल्पिक ऊर्जा की व्यवस्था भी डिजाईन में सम्मिलित की जायेगी। इसके अतिरिक्त छात्रावास एवं विद्यालय की साज-सज्जा/फर्नीचर आदि पर होने वाला व्यय भी निर्माण लागत में सम्मिलित होगा। प्रत्येक आश्रम पद्धति विद्यालय में बच्चों हेतु इनडोर एवं आउटडोर स्पोर्टस की सुविधा भी होगी।

7- प्रधानाचार्य विद्यालय का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी तथा आहरण वितरण अधिकारी होगा। प्रधानाचार्य का पद रिक्त होने की स्थिति में शिक्षा विभाग की भांति सम्बन्धित विद्यालय के वरिष्ठतम् प्रवक्ता द्वारा कार्यवाहक प्रधानाचार्य का दायित्व वहन किया जायेगा।

8- सभी पदों पर चयन हेतु आयु-सीमा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आयु सीमा के अनुरूप होगी।

9- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय आवासीय विद्यालय हैं, अतएव इनमें शिक्षण कार्य की अवधि प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक होगी और बीच में आवश्यकतानुसार 01 घंटे का भोजनावकाश होगा। 01 घंटे का बाह्य क्रीड़ा अवधि होगी, जिसका समय प्रधानाचार्य द्वारा निर्धारित किया जायेगा। बालिका विद्यालयों में महिला स्टाफ की तैनाती की जायेगी।

10- विद्यालय के नियमित स्टाफ के पाल्य को उस संस्था में दिवसीय छात्र के रूप में अध्ययन् की सुविधा अनुमन्य होगी। इसी प्रकार विद्यालयों में हास्टल के 03 हाउस मास्टर तथा 03 सह हाउस मास्टर प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षकों से नामित किया जायेगा। हाउस मास्टर प्रवक्ता संवर्ग से तथा सह हाउस मास्टर सहायक अध्यापक एल0टी0ग्रेड संवर्ग से होगा। इन्हें क्रमशः 800/- तथा 400/- प्रतिमाह भत्ता नवोदय विद्यालयों की भांति दिया जायेगा।

11- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के छात्रों हेतु विशिष्ट ड्रेस कोड निर्धारित किया जायेगा तथा नवोदय विद्यालय की भॉति छात्रों को दो सेट सलेटी कलर की पैन्ट लाल नीला सफेद चेकदार सर्ट तथा एक जोड़ी काले जूते व मोजे व एक सेट सफेद पैंन्ट-शर्ट तथा एक जोड़ी सफेद जूता मोजा दिया जायेगा। छात्राओं को दो सेट लाल नीला सफेद चेकदार शर्ट/कुर्ता तथा सलेटी कलर की स्कर्ट (टूनिक)/सलवार व सफेद दुपट्टा तथा एक जोड़ी काले जूते-मोजे व एक सेट सफेद शर्ट स्कर्ट (टूनिक)/सलवार कुर्ता व दुपट्टा तथा एक जोड़ी सफेद जूता मोजा दिया जायेगा। शीतकाल में मैरून कलर का ब्लेजर/फुल स्वेटर तथा एक हाफ् स्वेटर कक्षा 6, 9 व 11 में दिया जायेगा। इसी प्रकार छात्र एवं छात्राओं को कक्षा 6, 9 व 11 में एक ट्रैक सूट भी दिया जायेगा। प्रत्येक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

छात्र/छात्रा को एक हाउस की टी-शर्ट भी प्रदान की जायेगी। कक्षा 9 से 12 तक सभी छात्राओं का परिधान अनिवार्य रूप से सलवार-कुर्ता एवं दुपट्टा होगा।

12- नवोदय विद्यालय की भांति राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के छात्रों को देय सुविधायें एवं सामग्री की व्यवस्था निम्नवत् होगीः-

(क)-प्रवेश के समय देय सुविधाए-

1.	गद्दा	01
2.	कम्बल	01
3.	चादर	02
4.	तकिया	01
5.	तकिया कवर	02

(ख)-प्रतिवर्ष देय सुविधाएं-

1.	चेकदार शर्ट	02
2.	पैन्ट कार्बन ब्लू	02
3.	सफेद शर्ट	01
4.	सफेद पैन्ट	01
5.	हाउस टी-शर्ट	01
6.	हवाई चप्पल	01 जोड़ी
7.	जूते काला(मोजे सहित)	01 जोड़ी
8.	जूते सफेद(मोजे सहित)	01 जोड़ी
9.	तौलिया	01

(ग)- दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्रति माह

1.	टूथपेस्ट 50 ग्राम	01
2.	टूथब्रस तीन माह में	01
3.	नहाने का साबुन 75 ग्राम	01
4.	डाबर ऑवला तेल 50 ग्राम	01
5.	रिन साबुन 250 ग्राम	01
6.	जूता पालिस वर्ष में	01

(घ) कक्षा-6, 9 एवं 11 को देय सुविधाएं

1.	स्वैटर फुल	01
2.	ट्रैक सूट	01
3.	ब्लैजर कोट	01

छात्राओं की **Natural Essence** के दृष्टिगत उन्हें आवश्यक सामग्री आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

13- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा की गुणवता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक विद्यालय का प्रतिवर्ष पैनल इन्सपेक्शन (**Panel inspection**) आयोजित किया जायेगा। पैनल निरीक्षण दल का नेतृत्व मण्डल मुख्यालय पर तैनात संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा करेंगे और दल में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के प्रतिनिधि, जो डायट के प्रधानाचार्य से न्यून न होंगे, एक प्रधानाचार्य राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, एक स्थानीय शिक्षाविद् तथा जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक होंगे। पैनल निरीक्षण दल की रिपोर्ट मण्डलायुक्त तथा संबंधित जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण दल की रिपोर्ट की समीक्षा कर

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।